मे जारी हुऐ

प्रार्थना पत्र संख्या : 47 / 2019

उनवानः बाबुलाल बनाम राजेश व अन्य

16-1-20 पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0टी0ए0 के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खसरा नम्बर हाल 1018,1057 / 2401, 1064,1065,1066,1067,1068,1133, 1134,132,24,396, 590, 718,742,759770,772,774 वाके ग्राम गण्डाला तह0 बहरोड हम पक्षकारान की सहखातेदारी की आराजी है जिसका प्रतिवादी सं0 1 व 2 बिना विधिवत रूप से तकासामा करवाये अच्छी से अच्छी आराजी जो रास्ता व रोड से लगती आराजी को अपनी बताकर बाला बाला दिगर जगह मुन्तकिल करने की फिराक मे है। इसलिए अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल दावा हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाने की प्रार्थना की गई ।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये अप्रार्थीगण बाद तामिल जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जबाब पेश किया गया कि प्रार्थी ने गलत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। खसरा नम्बर 1134 रकबा 90 एयर के 1 / 3 हिस्सा अप्राथी सं0 2 का था जिसने अपने खातेदारी हिस्से का बेचान सुरेश बाई पत्नी श्री विनोद कुमार को किया जा चुका है और मिन अप्रार्थी सं0 1 पर भी कर्जा है इसलिए मिन अप्रार्थी सं0 1 ने भी अपने 1 / 3 हिस्से का बेचान उक्त सुरेश बाई को कर दिया है और सुरेश बाई के नाम से बयनामा लिखाया जा चुका है बयनामा लिखानी की भनक प्रार्थी को लगते ही प्रार्थी ने मिन अप्रार्थी के बेचान मे बिना वजह अडचन पैदा करने के लिए यह दावा व स्टे प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया न्यायालय श्रीमान् से एक तरफा मे स्टे प्राप्त कर ली गई है। जबकि मिन अप्रार्थी अपने हिस्से का व जहां पर मेरा कब्जा है वही पर कब्जा देकर भूमि का बेचान कर रहा हूँ जिसे प्रार्थी को कोई क्षति या असुविधा नही होती है। इसलिए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाने की प्रार्थना की गई ।

हमने उभय पक्षो की बहस सुनी गई । उभय पक्षो की बहस पर गहनता से मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी के कथनानुसार वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की सहखातेदारी की आराजी तो है। लेकिन अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अपने जबाब मे निवेदन किया है कि मेरे कर्जा हो गया है इसलिए मै अपने कर्जा का चुकता करने के लिए खसरा नम्बर 1134 मे अपने खातेदारी हिस्से का बेचान श्रीमती सुरेश बाई पत्नी विनोद कुमार को किया है मौके पर कब्जा भी जहां मेरा कब्जा था वहा पर दिया जा चुका है और बयनामा भी लिखाया जा चुका है। मेरे बयनामा मे बिना वजह अडचन डालने के लिए एक तरफा मे स्टे प्राप्त की गई है। जबकि इसी खसरा नम्बर मे से पूर्व मे अप्रार्थी सं0 2 ने अपने 1 / 3 हिस्से का बेचान

उक्त सुरेश बाई को किया जाने का कथन किया है। इस प्रकार खसरा नम्बर 1134 मे अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अपने खातेदारी हिस्से का बेचान अपनी पारिवारिक लीगल आवश्यकता के लिए किया जहा रहा है । जहां किसी खातेदार द्वारा अपने हिस्से का बेचान किया जाता हो और मौके पर अपने खातेदारी हिस्से की भूमि पर कब्जा दिया जा रहा हो तो हर दूसरे सहखातेदार का खातेदारी हिस्सा प्रभावित होना जाहीर नही होता है। अप्रार्थी सं0 1 मात्र एक खसरा नम्बर मे से अपने हिस्से का बेचान कर रहा है। जिसकी बाबत बयनामा भी लिखा लिया है इसलिए प्रार्थना पत्र मे वर्णित खसरा नम्बर 1134 रकबा 0.90 है0 को स्टे से मुक्त किया जाना न्याय संगत है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 आंसिक रूप से इस प्रकार स्वीकार किया जाकर उभय पक्षकारान को ताफैसला मूल दावा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1018,1057/2401, 1064,1065,1066, 1067,1068,1133,132,24,396, 590, 718,742,759770,772,774 वाके ग्राम गण्डाला तह0 बहरोड जिला अलवर राज0 के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिती बनाई रखे एवं खसरा नम्बर हाल 1134 रकबा 0.90 है0 वाके ग्राम गण्डाला तह0 बहरोड जिला अलवर राज0 को इस न्यायालय द्वारा पारित स्टे आदेश दिनांक 14.08.2019 से मुक्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम हो तथा मूल पत्रावली के साथ संलग्न हो ।

आदेश आज दिनांक 16-1-20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

संतोष कुमार मीना
(आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर
बहरोड़ (अलवर)
बहरोड(अलवर)